रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1998/वैशाख 24, 1920
No. 300] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1998/VAISAKHA 24, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1998

का. आ. 398 (अ).—लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् लिट्टे कहा गया है) एक ऐसा संगम है, जिसका आधार वस्तुतः श्रीलंका में है किन्तु जिससे सहानुभूति रखने वाले, जिसके समर्थक और एजेण्ट भारत की भूमि पर हैं ;

2. और लिट्टे का सभी तमिलों के लिए स्वदेश प्राप्ति का उद्देश्य भारत की संप्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखण्डता को विच्छिन्न करता है और इस प्रकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की परिधि के अन्तर्गत आता है;

3. और लिट्टे द्वारा सभी तमिलों के लिए एक पृथक स्वदेश (तमिल ईलम) की लगातार जारी उग्रवादी कार्यवाही से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता को निरन्तर खतरा बना हुआ है;

4. और ऐसे कई आपराधिक मामले जैसे राजीव गांधी हत्या का मामला, पदमनाभ की हत्या का मामला, जिनमें टी.एन. आर. टी. और तमिलर परसाई मामले भी हैं, जिनमें लिट्टे और तमिल नेशनल रिट्राइवल ट्रुप्स जैसे लिट्टे समर्थक ग्रुप भी हैं, में सजा हुई है और तमिलनाडु में लिट्टे समर्थक ग्रुपों के मध्य अभी भी तमिल ईलम की अवधारणा एक उद्देश्य के रूप में विद्यमान है और ये शक्तियां अभी भी अपने उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए लगी हुई हैं, जिसके द्वारा उक्त अत्यधिक संवेदनशील वातावरण तैयार हो रहा है जिसमें लिट्टे को विधिपूर्ण संगम के रूप में यदि भारत में स्वच्छन्द कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो उसका भारत की संप्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखण्डता के लिए अत्यधिक अहितकर होना संभाव्य है;

5. और एल. टी. टी. ई. अभी भी श्रीलंका में अत्यधिक शक्तिशाली आतंकवादी ताकत है और यह इस समय विश्व में एक अत्यधिक घातक आतंकवादी संगठन है जिसके तमिलनाडु में मजबूत सम्पर्क हैं;

और एल. टी. टी. ई. एक अत्यन्त शक्तिशाली आतंकवादी आन्दोलन जारी रखे हुए है और जब तक श्रीलंका तमिल ईलम की मांग से अन्तर्द्वन्द में ग्रस्त, जातीय संघर्ष में उलझा रहता है, जिसकी श्रीलंका के तमिलों और श्रीलंका में भारतीय तमिलों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, जातीय और ऐतिहासिक निकटता के कारण इस मांग को जोरशोर से उठाया जा रहा है और तमिलनाडु में पृथकतावादी तमिल उग्र समर्थक ताकतें और लिट्टे समर्थक ग्रुप तमिलनाडु में लिट्टे के समर्थन आधार को बढ़ाने के लिए अलगाववादी भावनाओं को भड़काने का प्रयास करेंगे, जिससे भारत की क्षेत्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

6. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से लिट्टे एक विधिविरुद्ध संगम है और ऐसी सभी अलगाववादी गतिविधियों की सभी संभव विधिपूर्ण उपायों द्वारा नियंत्रित करने की अत्यधिक आवश्यकता बनी हुई है;

7. और केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि :

(क) मदुरै, रामनाथपुरम, त्रिची, कोयम्बटूर में अपराध अन्वेषण विभाग की "क्यू" शाखा द्वारा चलाए गए गहन अभियानों में नवम्बर, 1996 में मदुरै में लिट्टे के लिए आपूर्ति करने/भेजने वाले एक षडयंत्र को कुचल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लिट्टे के 9 कार्यकर्ताओं समेत 19 अभियुक्त पकड़े गए और भारी मात्रा में साज-समान जब्त किया गया जिसमें आपत्तिजनक सामग्री जैसे 9 मिमी. पिस्तौल और गोला-बारूद, एक वायरलैस सैट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम

आदि भी थे और इस संबंध में [विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13(2) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 (ख) और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 7 के साथ पठित धारा 25(1)(क) और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के साथ पठित धारा 3 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 1/96] मदुरै नगर के अपराध अन्वेषण विभाग की "क्यू" शाखा द्वारा अपराध सं० 1/96 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया;

(ख) 8.2.97 को लिट्टे कार्यकर्ता पांडियन उर्फ मुरलीधरन नामक एक व्यक्ति सहित पांच व्यक्ति श्रीलंका में लिट्टे को आपूर्ति करने के लिए चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य स्थानों से दवाईयां आदि प्राप्त करने के षडयंत्र में लगे हुए थे । ये पांचों व्यक्ति भारत में प्रतिबंधित संगठन लिट्टे को दवाईयों की आपूर्ति करने की व्यवस्था करने के लिए चेन्नई में टी टी के रोड पर एक फ्लैट में बैठक कर रहे थे । चेन्नई शहर में अपराध अन्वेषण विभाग की क्यू शाखा ने उनसे एक वायरलैस कोड शीट, 1.05 लाख रुपये की नकदी, 4 कैसिट डिस्क जिनमें सी टाइगर्स एवं ब्लैक सी टाइगर्स आदि के संबंध में लिट्टे की प्रचार सामग्री सन्निहित थी, दवाइयों की एक सूची, लिट्टे नेता प्रभाकरण के ब्लैक टाइगर्स आदि के साथ फोटो जब्त किए और विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 (1) ख और 13(2) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120(ख) के अधीन एक मामला अपराध सं० 1/97 के रूप में चेन्नई स्थित अपराध अन्वेषण विभाग की "क्यू" शाखा द्वारा दर्ज किया गया । लिट्टे कार्यकर्ताओं की सहायता करने के आरोप में एक स्थानीय तमिल पत्रिका के सम्पादक अर्थात् श्री ए. एस. मणि को भी गिरफ्तार किया गया। (जांच से पता चला कि लिट्टे कार्यकर्ता चेन्नई शहर के पास स्थित एक मकान में एक वायरलैस सैट चला रहे थे । तदुपरान्त, रामा इलैन्गोवन, पुत्र श्री रामासामी चेट्टियार नं० 14. पोस्ट आफिस रोड, पट्टकोट्टाई, जिसका विजिटिंग कार्ड लिट्टे कार्यकर्ता पांडियन उर्फ मुरलीधरन से जब्त किया गया, को 14.3.97 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी स्वीकारोक्ति पर 9 एम एम पिस्तौल के 9 लाइव राउण्ड एक मैगजीन, एक क्लीनिंग राड आदि जब्त किए गए ।

(ग) 4.6.97 को रात के 00.30 बजे रामनाथपुरम जिले में उचिपुलि पुलिस थाने की सीमान्तर्गत अट्टन्करई गांव में जब एक पुलिस दल रात में गश्त लगा रहा था तो संदेह होने पर उसने एक सफेद रंग की अम्बेसडर कार नं० टी एस डी 1332 को रोका और पूछताछ तथा पूरी तलाशी लेने पर यह पाया गया था कि 4 संदिग्ध लिट्टे कार्यकर्ता और चालक सहित 3 स्थानीय व्यक्ति लिट्टे के लिए दवाईयां और अन्य सामान प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उस कार में सवार थे । उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1)(क)(ख), विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(क) और विधिविरुद्ध क्रियकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13(I)(II) के अधीन रामनाथपुरम् जिला, उचिपुलि पुलिस थाने में अपराध सं० 653/97 के अधीन गिरफ्तार किया गया था । जब्त की गई सामग्री निम्नलिखित थी :—

(i)	9 मिमि. एम.पी. की 5 राइफलें	— एक 59 राउंड सहित
(ii)	9 मिमि. पिस्तौल	— एक 24 राउंड सहित
(iii)	वाकी टाकी	— 5 सैट
(iv)	मोर्स की-बोर्ड	— 2 सैट
(v)	श्रीलंका की मुद्रा	— 17,19,500 रु०
(vi)	भारतीय मुद्रा	— 4,577 रु०
(vii)	पाकेट कंप्यूटर फीडिंग कंप्यूटर	— 1
(viii)	साइनाईड कैप्सूल	— 2 (बड़े आकार के) 35 (छोटे आकर के)
(ix)	वीडियो कैसेट	— 16 अदद
(x)	आडियो कैसेट	— 32 अदद
(xi)	लिट्टे द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र	— एक बंडल

(घ) विश्वस्त सूचना मिली थी कि चोक्कालिंगम पुत्र कुप्पन चेतियार, सं० 36 कामराजार सलाई, अशोक नगर, चेन्नई-83 ने, लिट्टे के एक कार्यकर्ता विजय कुमार को चेन्नई के एक गुप्त स्थान में शरण दे रखी है और श्रीलंका में लिट्टे के प्रयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं को तमिलनाडु में प्राप्त करने तथा उन्हें गुप्त रूप से तस्करी द्वारा श्रीलंका पहुंचाने में सहायता कर रहा है। इतना ही नहीं, चोक्कालिंगम ने लिट्टे कार्यकर्ता विजय कुमार को सेल्यूलर फोन उपलब्ध करवाए । यह सूचना मिलने के बाद चोक्कालिंगम और लिट्टे कार्यकर्ता विजय कुमार के लिए लगातार चौकसी रखी गई । 20.1.1998 को पुनः सूचना मिली कि लिट्टे कार्यकर्ता विजय कुमार विशाकाथोट्टम मेट्टुपालयाम, सैदापेट, चेन्नई स्थित एक मकान में चोक्कालिंगम के साथ मिलकर गुप्त रूप से मोर्स की और वायरलैस सैट चला रहा है और सेल्वी नामक एक महिला भी उसकी सहायता कर रही है । 20.1.1998 की शाम "क्यू" शाखा पुलिस ने मकान नं० 14, विशागाथोट्टम, मेंट्टूपलायम चेन्नई-15 पर छापा मारा और पाया कि लिट्टे कार्यकर्ता विजय कुमार और विशाखारथिनम उर्फ श्रीनिवासन, (आयु 23 वर्ष) पोनामारावेथी के चोक्कालिंगम (आयु 38 वर्ष) और कीरामंगलम के सेल्वी (आयु 40 वर्ष) के साथ मिलकर मोर्स की और वायरलैस सेट चला रहे हैं । चेन्नई शहर के अपराध अन्वेषण विभाग की "क्यू" शाखा ने उन्हें विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 (1) और 13(2) के अधीन अपराध सं० 1/98 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया । लिट्टे कार्यकर्ता के विजय कुमार से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद हुईं :

(i)	सेल्लूर फोन	3 अदद
(ii)	येस एफ टी 757	ट्रांसरिसीवर

(iii)	मोर्स की	
(iv)	हैड फोन	1 अदद
(v)	आइकाम आटोमैटिक ऐंटेना ट्यूनर	1 अदद
(vi)	12 वोल्ट बैटरी	1 अदद, बैटरीचार्जर-1 अदद
(vii)	साइनाइड कैप्सूल	(छोटे) 2 अदद
(viii)	कोड-शीट्स, और	
(ix)	कोडीकृत और अकोडी-कृत संदेश	

अन्वेषण से यह बात स्पष्ट हुई कि गिरफ्तार लिट्टे कार्यकर्ता विजय कुमार उर्फ विशाखारत्नम उर्फ श्रीनिवासन किरूबा ही है जिसकी चेन्नई शहर "क्यू" शाखा को अपराध सं० 1/97 में तलाश है । यह बात भी प्रकाश में आई कि लिट्टे के 4 अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं ।

"पूर्वोक्त चारों मामलों में प्राप्त हुई सामग्री की जांच से कतई स्पष्ट है कि 1992 से प्रतिबंध के बावजूद, लिट्टे देश की सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों में लिप्त रहा है । यूचिपुलि मामले में बड़ी संख्या में साइनाइड कैप्सूल, एक स्वचालित हथियार, एक पिस्तौल और गोला-बारूद और वायरलैस सैटों की बरामदगी लिट्टे के उद्देश्य का खतरनाक संकेत है । लिट्टे कार्यकर्ता पांडियन उर्फ मुरलीधरन और विजय कुमार उर्फ विशाखारत्नम की क्रमश: 1997 और 1998 में चेन्नई में गिरफ्तारी से और लिट्टे के चार और कार्यकर्ताओं की मोजूदगी से, जो तमिलनाडु में अब तक फरार हैं, उक्त आशंका को बल मिला है ।"

8. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लिट्टे की उपरोक्त गतिविधियां भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता के लिए खतरा बनी हुई हैं तथा साथ ही लोक व्यवस्था के लिए अहितकर है, अत: इसे विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया जाए ।

9. और केन्द्रीय सरकार की आगे यह राय है कि (i) भारत की अखण्डता और सम्प्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लगातार हिंसक और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के कारण और (ii) और लगातार प्रबल भारत विरोधी रूख अपनाने और भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतारा बने होने के कारण, यह आवश्यक है कि लिट्टे को तत्काल प्रभाव से विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया जाए ।

10. अत: अब केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अधीन रहते हुए राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभावी होगी ।

[फा०सं० I-11034/9/98-आई.एस.डी. I (ए)]

संगीता गैरोला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1998

S.O. 398 (E).—Whereas the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as LTTE), is an association actually based in Sri Lanka but having sympathisers, supporters and agents on the Indian soil;

2. And whereas LTTE's objective for a homeland for all Tamils disrupts the sovereignty and territorial integrity of India and thus falls within the ambit of an unlawful activity;

3. And whereas the continuing militant pursuits by the LTTE of the objective if a separate homeland (Tamil Eelam) for all Tamils, threatens the sovereignity and territorial integrity of India;

4. And whereas most of the criminal cases involving LTTE and Pro-LTTE groups like TNRT (Tamil National Retrival Troops) and Tamiliar Pasarai, such as the Rajiv Gandhi assassination case, the Padmanabha murder case and the cases involving TNRT and Tamiliar Pasarai etc. have ended in conviction and The Tamil Elelam concept still remains as a goal among the pro-LTTE groups in Tamil Nadu and the forces are still at work to further its cause, thereby contributing to the said highly vulnerable milieu in which LTTE's free functioning in India as a lawful association, if allowed, is likely to be highly deterimental to the sovereignty and territorial integrity of India;

5. And whereas LTTE continues to be an extremely potent terrorist force in Sri Lanka and is presently one of the deadliest terrorist organisations in the world which has strong connections in Tamil Nadu. And whereas LTTE continues to remain a strong terrorist movement and so long as Sri Lanka continues to remain in a state of ethnic strife, torn by the demand for Tamil Eelam, which finds a strong echo in Tamil Nadu due to the linguistic, cultural, ethnic and historical affinity between the Sri Lankan Tamils and the Indian Tamils in Sri Lanka and the separatist Tamil chauvinist forces in Tamil Nadu and the pro-LTTE groups will always try to stimulate the secessionist sentiment to enhance the support base of the LTTE in Tamilnadu which will all have an adverse influence over the territorial integrity of India.

6. And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the LTTE is an Unlawful association and there is continuing strong need to control all such separatist activities by all possible lawful measures.

7. And whereas the Central Government has information that;

(a) A racket in Madurai for procuring and despatching supplies for the LTTE was smashed during November, 1996 by the "Q" Branch, CID in the intensive operations in Madurai Ramanathapuram, Trichy, Coimbatore, which led to the arrest of 19 accused including 9 LTTE cadres and operatives and large seizures including incriminating materials such as

9 mm pistol with ammunition, a wireless set, Global Positioning System, etc. vide Madurai City Q Branch CID Cr. No. 1/96 [FIR No. 1/96 u/s 120 (B) IPC, 13 (2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act,1969, Section 25 (1) (a) r/w Section 7 of the Arms Act, 1959 and Section 3 r/w Section 12 of Passport Act].

(b) On 8-2-1997, five persons including an LTTE cadre Pandian @ Muralidharan, were engaged in a conspiracy to procure medicines, etc., from Chennai and other places in the State of Tamil Nadu to the LTTE in Sri Lanka. All the five were having a meeting in a flat on TTK Road, Chennai to make arrangements for supply of medicines to the LTTE, an organisation banned in India. A wireless code sheet, Rupees 1.05 lakhs in cash, 4 Cassette Discs containing LTTE propaganda material on Sea Tigers, Black Sea Tigers, etc., a list of medicines, photographs of LTTE leader Prabhakaran with Black Tigers, etc. were seized from them vide Chennai City Q Branch CID Cr. No. 1/97 under Section 10, 13 (1) (b) and 13(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 read with Section 120 (B) IPC. A local Tamil magazine editor viz. A.S. Mani was also arrested for rendering assistance to LTTE cadre. Investigation revealed that LTTE cadres were operating a wireless set at a house near Chennai City. Subsequently, Rama Elangovan son of Ramasamy Chettiar, No. 14 Post Office Road, Pattukottai, whose visiting card has been seized from LTTE cadre Pandian @ Muralidharan, was arrested on 14-3-1997 and 19 live rounds of 9 mm pistols, one magazine, a cleaning rod, etc. were recovered on his confession.

(c) On 4-6-1997 night at about 00.30 hours at Atankarai village in Uchipuli Police Station limits, Ramanathapuram District, when a police party was on night round, they intercepted one white coloured Ambassador car TSD 1332 on suspicion and when enquiry and thorough search were made it was found that four suspected LTTE cadres and three local persons including driver were travelling in the vehicle in order to procure medicines and other goods for LTTE. They were arrested vide Cr. No. 653/97 Uchipuli Police Station Ramanathapuram district u/s 25 (1) (a) (d) of the Indian Arms Act, 1959, Section 14 of Foreigners' Act, 1946 and 6 (a) of the Passport Act, 1967 and 13 (1) (2) of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the following were among the seized articles :—

(i)	9 mm MP 5 rifles	—One with 59 rounds
(ii)	9 mm pistol	—One with 24 rounds
(iii)	Walkie-Talkie	—5 sets
(iv)	Morse-Key boards	—2 sets
(v)	Sri Lankan Currency	—Rs. 17,19,500/-
(vi)	Indian Currency	—Rs. 4,577/-
(vii)	Pocket computer	
	Feeding computer	—1
(viii)	Cyanide capsules	—2 (big size)
		—35 (small size)
(ix)	Video cassettes	—16
(x)	Audio cassettes	—32
(xi)	Newspapers weekly	
	published by LTTE	—One bundle

(d) A reliable information was received that one Chokkalingam s/o Kuppan Chettiar, No. 36, Kamarajar Salai, Ashok Nagar, Chennai-83. is harbouring an LTTE cadre by name, Vijaykumar in an hideout in Chennai and helping him in the procurement of essential items in Tamil Nadu for the use of LTTE in Sri Lanka by smuggling them clandestinely and that Chokkalingam also helped the LTTE cadre, Vijaykumar by providing him cellular phones. Following this information, a constant vigil was maintained for Chokkalingam and LTTE cadre, Vijaykumar. On 20-1-1998, further information was received that the LTTE cadre, Vijaykumar, was also operating 'Morse Key' and Wireless sets clandestinely along with Chokkalingam in a house at Visaka Thottam, Mettupalayam, Saidapet, Chenni and that a woman by name, Selvi is also assisting them. The Q Branch police raided the above house at No. 14, Visagathottam, Mettupalayam, Chennai-15, on 20-1-1998 evening and found that the LTTE cadre, Vijaykumar @ Visakarathinam @ Srinivasan (age 23 years) was operating 'Morse Key' and a wireless set in the company of Chokkalingama (age 38) of Ponnamaravathy and Selvi (age 40) of Keeramangalam. All of them were arrested vide Chennai City 'Q' Branch, CID, Cr. No. 1/98 under Section 10, 13(1) and 13 (2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act. The following were the articles seized from LTTE cadre, Vijaykumar :—

(i) Cellular phone - 3 Nos.

(ii) YEASU FT 575 - Transreceiver

(iii) Morse Key

(iv) Headphone - 1 No.

(v) ICOM Automatic Antennae tuner - 1 No.

(vi) 12 Volt Battery - 1 No. Battery Charger 2 No.

(vii) Cyanide capsules (small) - 2 No.

(viii) Code - sheet and

(ix) Coded and decoded messages.

Investigation disclosed that the arrested LTTE cadre, Vijaykumar @ Visakarathinam @ Srinivasan is none other than Kiruba wanted LTTE cadre in Chennai City 'Q' Branch Crime No. 1/97 (noted above). Further it came to light that 4 other LTTE Cadres are still at large in Tamil Nadu.

From the material culled out in aforesaid four cases, it is quite evident that despite the ban, which is in existence since 1992, the LTTE on their part continue to indulge in activities prejudicial to the security of the country. The seizure of a large quantity of cyanide capsules, an automatic weapon, a pistol and ammunition and wireless sets in Uchipuli case is a distressing signal of the LTTE's objective. The above apprehension is strengthened by the arrest of LTTE cadre Pandiyam @ Muralidharan and Vijaykumar @ Visagarathanam in Chennai in 1997 and 1998 respectively, and the presence of 4 more LTTE cadres who are still at large in Tamil Nadu.

8. And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE continue to pose threat to and are detrimental to the sovereignty and integrity of India as also public order; and therefore should be declared as an unlawful association.

9. And whereas the Central Government is further of the opinion that (i) because of its continued violent and disruptive activities prejudicial to the integrity and sovereignty of India and because (ii) it continues to adopt a strong anti-India posture and also continues to pose a grave threat to the security of Indian nationals, be is necessary to declare the LTTE as an Unlawful association with immediate effect.

10. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) to be unlawful association and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have immediate effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. I- 11034/9/98 - ISDI (A)]
SANGITA GAIROLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.